ISPRL

6 Annual Report
वार्षिक रिपोर्ट
2009-2010

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड

(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum and Natural Gas, Govt. of India

विषय सूची
CONTENTS

1.	बोर्ड के निदेशक	3
	Board of Directors	**38**
2.	निदेशक रिपोर्ट	5
	Directors' Report	**40**
3.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	11
	Auditors' Report	**45**
4.	वार्षिक लेखे 2009-10	17
	Annual Accounts 2009-10	**51**
5.	भारत के नियंत्राक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	35
	Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG)	**70**

बोर्ड के निदेशक

श्री एस सुन्दरेशन	निदेशक	(31 जनवरी 2010 से)
श्री आर एस पांडेय	अध्यक्ष	(31 जनवरी 2010 तक)
श्री सुधीर भार्गव	निदेशक	(19 मई 2010 से)
श्री एल एन गुप्ता	निदेशक	
श्री अरुण कुमार	निदेशक	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री राजन के पिल्लै

कंपनी सचिव

श्रीमती सुधा वेंकट वरदन

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स रस्तोगी नारायण एण्ड कम्पनी,
चार्टेड एकांउटेन्टस
फ्लेट नं. 303, डीडीए एचआईजी मल्टी स्टोरी, ब्लाक 1, रानी झाँसी काम्प्लेक्स
देश बंधु गुप्ता रोड़, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110 055

बैंकर्स

बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ओवरसीज शाखा,
विजया बिल्डिंग, 17 बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली 110 001

कार्पोरेशन बैंक
एम–41 कनॉट सर्कस
नई दिल्ली 110 001

पंजीकृत कार्यालय

301ए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड़, नई दिल्ली–110 001

प्रशासनिक कार्यालय

ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा– 201301, उ.प्र.
फोन : 91–120–2594641, फैक्स : 91–120–2594643
वेब साईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापटनम् परियोजना कार्यालय :
लोवागार्डन, एच.एस.एल. फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापटनम्–530 005
फोन : 0891–2574059, फैक्स : 0891–2573503

मैंगलोर परियोजना कार्यालय :
स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रुड आयॅल प्रोजेक्ट,
चन्द्राहास नगर, परमुडे पी.ओ, मैंगलोर–574 509
फोन : 0824–3006100, फैक्स : 0824–3006111

पादुर परियोजना कार्यालय :
पीओ : पादुर, वाया काप्, जनपद उडुपी–574 106, कर्नाटक
फोन : 0820–2576683, फैक्स : 0820–2576629

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

शेयर धारक

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड

बोर्ड के निदेषकों की ओर से, मैं कम्पनी की कार्यप्रणाली पर 31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि की छठी वार्षिक रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखा–विवरण तथा उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

कंपनी :– एक परिदृश्य

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल.) दिनांक 16 जून, 2004 को इंडियन ऑयल कार्पोरेषन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुआ। कंपनियों के रजिस्ट्रार से कार्य आरंभ करने का प्रमाण–पत्र दिनांक 17.03.2006 को प्राप्त हुआ । कंपनी की सम्पूर्ण षेयरधारिता तेल उद्योग विकास बोर्ड तथा उनके नामितियों द्वारा 9 मई 2006 को अधिगृहित कर ली गई हैं । दिनांक 31.03.2010 को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी तथा निर्गमित/अभिदत्त/प्रदत्त पूंजी क्रमष : रूपये 1000 करोड़, रूपये 519.64 करोड़ है (178.4 करोड़ रूपये प्रलंबित आबंटन समाविश्ट है)।

बहिर्नियमावली अंतर्नियम की दृश्टि से कंपनी का मुख्य उद्देष्य कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादन के भण्डारण, रखरखाव, निर्वहन, ढुलाई, परिवहन, प्रेशण तथा आपूर्ति संबंधी कार्य सम्पादित करना है।

कार्य–निष्पादन का संक्षिप्त विवरण

कंपनी को विषाखापट्टनम, मैंगलूर तथा पादुर में 5 एम.एम.टी. के कार्यनीतिक कच्चे तेल क्षमता वाले भण्डार, स्थापित करने का आदेष हुआ है। सितम्बर, 2005 के मूल्यानुसार कार्यनीतिक भण्डारण सुविधाओं के निर्माण की पूंजीगत लागत लगभग 2397 करोड़ रूपये आंकी गई है तथा प्रचालन व अनुरक्षण लागत 90 करोड़ रूपये होने की प्रत्याषा की गई है। लागत में कच्चे तेल की कीमत षामिल नहीं है जो संबंधित कैवर्नों के भरे जाने के लिए तैयार होने पर प्रचलित बाजार दरों पर जुटाया जाएगा । तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) सम्पूर्ण निर्माण लागत के लिए निधियॉ उपलब्ध कराएगा ।

इन योजनाओं की प्रस्थिति और उददेष्यो को आगे बढ़ाने के लिए निम्न के अधीन कंपनी ने अनेक कदम उठाए जो निम्नलिखित हैं :

कार्यनीतिक आरक्षितियों के निर्माण हेतु चुने गए स्थान विषाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मैंगलोर (1.5 एमएमटी) , तथा पादुर (2.5 एमएमटी) हैं ।

1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक परियोजना संबंधित प्रस्थिति इस प्रकार है :

1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को परियोजना प्रबन्धन सलाहाकार के रुप में नियुक्त किया गया है। परियोजना के लिए आवष्यक 68 एकड़ भूमि में से 38 एकड़ भूमि विषाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट से पटटे पर ले ली गई है तथा षेश भूमि के लिए पूर्वी नौसेना कमांड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वैधानिक निर्बाधताएँ प्राप्त कर ली गई हैं । अनूपूरक स्थल जांच पड़ताल के पष्चात् अतिरिक्त क्षमता हेतु सीमांत लागत के लाभ उठाने के लिए कैवर्न की क्षमता 1.33 एमएमटी तक बढ़ा दी गई है ।

प्रति नीलामी प्रक्रिया के जरिए मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्षन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) को दिनांक 16.1.2009 को भूमिगत कार्य का ठेका रूपये 393 करोड़ की कुल लागत में किया गया। भूमिगत सिविल कार्य तेजी से प्रगति पर है। 31 मार्च 2010 तक 1086 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। मात्र एक साल की अवधि में लगभग 8.5 लाख क्यूबिक मीटर सख्त चट्टानी खुदाई का कार्य किया गया। सुरंग बनाने के कार्य में भी इसी अवधि के दौरान लगभग 3.5 किलोमीटर की प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त तीन प्रवेश द्वार शॉफट पूरे किए गए तथा दो अन्य पम्प शॉफ्ट की खुदाई का 80 प्रतिषत कार्य पूरा किया गया। इस उपलब्धि में दिनांक 28.3.2010 को एक दिन में 6502 क्यूबिक मीटर की खुदाई का रिकार्ड भी षामिल है।

भूमि के ऊपर का कार्य दिनांक 30.11.2009 को मैसर्स आईओटीएल को दिया गया तथा 31.3.2010 को मुख्य क्रीटिकल मदे जैसे क्रूड सबमर्सिबिल पम्प तथा सीपेज पानी के पम्प आदि की खरीद के लिए आर्डर दे दिया गया। कैवर्न के यांत्रिकी रूप से अक्टूबर 2011 तक पूरा होने तथा इसके जनवरी 2012 में प्रचालन की संभावना है।

2. मैंगलोर (भंडारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है । मैंगलोर कैवर्न के लिए चिन्हित भूमि मैंगलोर स्पेषल इकोनॉमिक जोन (SEZ) क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा 100 एकड़ भूमि मैंगलोर स्पेषल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (MSEZL) से अधिग्रहित की जा रही है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति तथा राज्य प्रदुशण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है ।

प्रति नीलामी प्रक्रिया के जरिए मै0 SKE&C तथा KCT के संयुक्त उद्यम को दिनांक 16.4.2009 को भूमि के ऊपर के कार्य का ठेका कुल लागत 403.5 करोड़ रूपये में दिया गया। 31.3.2010 से जल रक्षक सुरंग तथा मुख्य द्वार की खुदाई का कार्य जारी है।

भूमि के ऊपरी कार्य के लिए निविदादाताओं के पूर्व–आर्हता कार्य किया जा चुका है तथा टेडंरिग प्रणाली का कार्य प्रगति पर है।

MSEZL तथा आईएसपीआरएल के बीच सह–विकासक (को–डेवलपर्स) अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए तथा मैंगलौर परियोजना भूमि के लिए फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (FTWZ) हेतु आवेदन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु भेजा जा चुका है। दिनांक 11 फरवरी 2010 को सम्पन्न हुई बैठक में इस विषय पर स्वीकृति के लिए चर्चा हुई और इस प्रस्ताव पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से औपचारिक स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। यांत्रिकी रूप से कार्य पूरा होने की संभावित तिथि नवम्बर 2012 है।

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2008 में कर्नाटक सरकार पादुर/हेरुरु ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी कर चुकी है। पादुर में 161 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर्नाटक उद्योग क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) द्वारा किया जा रहा हैं तथा भूमि अधिग्रहण के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। भूखंड/पाइपलाइन मार्ग के सर्वेक्षण कार्य तथा अनुपूरक जॉच–पड़ताल के कार्य पूरे कर दिए गए हैं। भूमिगत सिविल कार्यों के लिए निविदा संबंधी गतिविधियों का कार्य प्रगति पर है। यांत्रिकी कार्य समापन की नियोजित तिथि दिसम्बर 2012 है।

भूमिगत सिविल कार्य को दो भागों यथा भाग ए तथा भाग बी में बांटा गया है। भाग ए कार्य मै0 एचसीसी को 374.66 करोड़ रूपये तथा भाग बी मै0 SKEC-KCT JV को 375.92 करोड़ रूपये के ठेके पर दिनांक 29.12.09 को 36 महीने में पूरा करने के साथ सौंपा गया। जैसाकि भूमि आईएसपीआरएल के कब्जे में नहीं थी तथा पर्यावरणीय अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए ठेकेदारों पर यह शर्त लगाई गई कि आईएसपीआरएल की बिना सलाह के ठेकेदार कोई क्षेत्रीय गतिविधियां आरंभ न करे।

मंगलौर–पादुर पाइपलाइन के लिए ROU अर्जन, DC, मंगलौर तथा DC, उडुपी ने SLAO, KIADB को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। SLAO, KIADB ने ROU अर्जन के काम के लिए अपनी सहमति दे दी है। केन्द्रीय राजपत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना देने से पूर्व KIADB द्वारा आग्रह किया गया है कि ROU अर्जन को कार्य करने की स्वीकृति पर सहमति दे।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए आई.एस.पी.आर.एल. के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक की टिप्पणी के आधार पर, हालांकि अभी तक कंपनी ने अपना वास्तविक व्यापार आरंभ नहीं किया है अतः 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लाभ व हानि लेखे (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 26 के अनुपालन पर आधारित) तैयार कर लिए हैं। कंपनी के 31 मार्च, 2010 तक के वित्तीय परिणामों का विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	विवरण	रूपये(लाखों में)		तुलन–पत्र के संदर्भ में
(क)	1 अप्रैल, 2009 को प्रचालन–पूर्व व्यय का आरंभिक शेष		22665.05	**अनुसूची 3** –31.3.2009 को अंतिम शेष
(ख)	वर्ष के दौरान प्रचालन–पूर्व व्यय		25450.23	**अनुसूची 3** 31.3.2010 को व्यय तथा 31.3.2009 को व्यय के शेष के बीच का अंतर
(ग)	**स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि**			**अनुसूची 2 –**
	स्थायी परिसंपत्ति–भूमि	-0.46		"वर्ष के दौरान हुई वृद्धि" कॉलम से
	अन्य स्थायी परिसंपत्ति	2.56		
	स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि		2.10	
(घ)	वर्ष के दौरान विविध व्यय (हटाए न जाने तक)		-239.44	**संकेत संख्या ख (3) का** तुलन–पत्र
(ड)	लाभ एवं हानि लेखे		248.12	
(च)	**निवल चालू परिसंपत्तियॉं** (1) चालू परिसंपत्तियॉं, ऋण तथा अग्रिम	3323.40		**अनुसूची 4**
	(2) चालू देयताएं तथा प्रावधान	6554.68		**अनुसूची 5** चालू देयताओं के लिए तथा मुख्य तुलन–पत्र **संकेत संख्या ख (2)** प्रावधानों के लिए
	निवल चालू परिसंपत्तियॉं (i-ii)		-3231.27	
	कुल व्यय(क+ख+ग+घ+ड+च)		44894.79	

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स रस्तोगी नारायण एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखो की रिपोर्ट दी है, जो यहां संलग्न है

सी एंड ए जी ने, वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2010 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत 2 टिप्पणियाँ दे चुका है। प्रबंधन के प्रत्युत्तर के साथ सी एंड ए जी की टिप्पणियों को यहां संलग्न किया गया है ।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व्यय पर कंपनी अधिनियम अनुच्छेद 217 (1) के अंतर्गत रिपोर्ट :

चूँकी कंपनी ने अभी तक वास्तविक कार्य आरंभ नहीं किया है अतः उर्जा शक्ति, ईधंन खपत तथा उत्पादन पर प्रति युनिट खपत से संबंधित सूचना शून्य है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन/व्यय नही हुआ ।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) सूचना तथा उसके अधीन निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारियों की विवरण संबंधी सूचना शून्य है ।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख

निदेषकों के उत्तरदायित्व विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि :

1. 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को बनाते हुए लेखों के लिए निर्धारित लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है ।
2. निदेषकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुना तथा उन्हें अनवरत लागू किया और ऐसे निर्णय लिए व अनुमान लगाए जो तर्कसंगत एवं न्यायसंगत थे, ताकि वर्ष के अन्त में कम्पनी की कार्य प्रणाली पर एक सत्य व स्पष्ट अवलोकन प्रस्तुत हो ।
3. निदेषकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं ढूँढने के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित व पर्याप्त सावधानी बरती ।
4. निदेषकों ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखे 'गोइंग कंर्सन' के आधार पर तैयार किए थे ।

निदेशक मंडल

वर्तमान में आई एस आर पी एल बोर्ड में चार–अंष कालिक गैर–कार्यपालक निदेषक (पदेन) हैं जो इस प्रकार हैः–

1. श्री एस. सुन्दरेषन, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष
2. श्री सुधीर भार्गव, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – सदस्य
3. श्री एल.एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – सदस्य
4. श्री अरूण कुमार, सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड – सदस्य

1 अप्रैल 2009 से कंपनी के निदेषकों में निम्नानुसार बदलाव हुआ हैं।

1. श्री एस.सुंदरेशन, अध्यक्ष–(31.01.2010 (अपराह्न से प्रभावी)
2. श्री आर.एस.पांडेय, अध्यक्ष–(31.01.2010 (पूर्वाहन तक))
3. श्री सुधीर भार्गव, निदेषक–(19.05.2010 से प्रभावी)

निदेषक मंडल, श्री आर एस पांडेय को बोर्ड में उनकी पदावधि के दौरान दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं की निश्ठावान सराहना को अभिलिखित करता है।

अभिस्वीकृति

निदेषक मंडल, भारत सरकार तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता हैं।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

दिनांक : 09.12.2010
स्थान : नई दिल्ली

ह0
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के शेयरधारकों को

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखों का लेखा परीक्षण किया। कंपनी प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। हमारा कार्य अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन विवरणियों पर अपने विचार व्यक्त करना है।

भारत में प्रचलित मान्य लेखा मानकों के आधार पर हमने लेखा परीक्षा की। इन मानकों को कार्यान्वित करने पर अपेक्षित है कि वित्तीय ब्यौरें आर्थिक त्रुटि रहित है का उचित आष्वासन प्राप्त करने के लिए, हम लेखा परीक्षा का नियोजन व निश्पादन करते हैं। लेखा परीक्षा का तात्पर्य जॉच के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में प्रभारित राषि तथा इसके खुलासे के सन्दर्भ में अपेक्षित प्रमाण की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करने के साथ साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतिकरण का मूल्याकंन करना भी ाामिल है। हमें विष्वास है कि हमारे द्वारा व्यक्त विचार हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं :

1 जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उपधारा 4(एए) के सन्दर्भ में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी के (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेष 2003 द्वारा अपेक्षित है, हम आदेष के पैरा 4 व 5 के उल्लिखित विशयों पर अपना वक्तव्य इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कर रहे हैं।

2 उपरोक्त अनुलग्नक में दिए गए अपने वक्तव्यों के सन्दर्भ में हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

(i) हम वे सारी सूचनाएं एवं स्पश्टीकरण प्राप्त कर चुके हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विष्वास में लेखा परीक्षा के लिए आवष्यक थी ।

(ii) जैसा कि इन पुस्तिकाओं की जॉच से हमें प्रतीत हुआ, हमारे मत में कानून की अनिवार्यताओं के अनुसार कंपनी की लेखा–पुस्तिकाएं रखी गई हैं तथा लेखा परीक्षा के लिए उन ाखाओं से उचित व पर्याप्त विवरण प्राप्त कर लिया गया है जिनका हमने मुआयना नहीं किया था।

(iii) इस रिपोर्ट में प्रदत्त तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखे का विवरण लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं ।

(iv) हमारे विचार से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में कंपनी का कार्य प्रतिनियुक्त अधिकारियों (अनुसूची 7 का सन्दर्भ सं 10) द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेखा मानक–15 द्वारा अपेक्षित सेवा–निवृति हितलाभ के अप्रावधान को छोड़कर, इस रिपोर्ट में प्रदत्त कंपनी के तुलन पत्र का विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में उल्लेखित मान्य लेखा नीतियों के अनुरूप हैं ।

(v) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना नं0–जीएसआर.829 (ई) दिनांकित 21 अक्टूबर 2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (जी) के तहत प्रकटन की आवष्यकता नहीं है ।

(vi) हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, तत्पष्चात, ये लेख लेखा सिद्धांतों तथा टिप्पणों के अनुसार है तथा 785 लाख रुपये के स्टांप ध्ुल्क के अप्रावधान के परिणामस्वरुप प्राप्त 785 लाख रुपये की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संबंध में धारा 7 की टिप्पणी संख्या 2(डी) के अधीन कंपनी अधिनियम 1956 की अनिवार्यताओं के अनुसार जानकारियॉ देते हैं तथा ये भारत में स्वीकृत सामान्यतः लेखा नीतियों के अनुसार सही स्थिति और समुचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैः

क) 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ई को कंपनी के व्यापार के तुलन पत्र के बारे में।

ख) उस तिथि पर समाप्त वर्ई के लाभ तथा हानि लेखे के बारे में।

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह0

(शांति नारायण)
पार्टनर
सदस्य सं0–87370
फर्म पंजीकरण सं – 008775

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16/9/2010

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के सन्दर्भ में अनुलग्नक

(समाप्त वर्ष 31 मार्च 2010 के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी सम तिथि की रिपोर्ट का पैरा 1 देखें)

1 (क) कंपनी ने अपनी स्थाई परिसम्पत्तियों की प्रस्थिति तथा संख्यात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाते अभिलेखों को सही ढंग से रखा हुआ है।

(ख) जैसा हमें बताया गया है कि वित्त वर्ष के अंत में स्थाई परिसम्पत्तियां प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जांची गई है। हमारे विचार में कंपनी के आकार तथा स्थाई परिसम्पत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता तर्कसंगत है। सत्यापन के दौरान कोई विसंगतियां नहीं पाई गई।

(ग) हमारे विचार में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी स्थाई परिसम्पत्तियों का निपटान नहीं किया गया है ।

2 (क) कम्पनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत व्यवस्थित रजिस्टर में अधिसूचित किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है।

(ख) कम्पनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत व्यवस्थित रजिस्टर में अधिसूचित किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है।

तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद (iii)(b),(iii)(c),(iii)(d),(iii)(e),(iii)(f) तथा (iii)(g) लागू नहीं हैं।

3 हमारे विचार में तथा हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों के क्रय से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रबधि कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा–परीक्षण सिद्धांतों के अनुसार पूरे किए गए कंपनी के लेखा–जोखा के हमारे परीक्षण के आधार पर, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रमुख कमजोरियों को सुधारने में निरंतर मिल रही किसी भी असफलता का ना तो हमें संयोगवश पता लगा, ना ही हमें सूचित किया गया।

4 कंपनी के अभिलेखों के अनुसार ऐसा कोई लेन–देन नहीं हुआ जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के संदर्भ में बनाए गए रजिस्टर में दर्शाने की आवश्यकता हो।

5 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए तथा 58एए या कोई अन्य सम्बद्धित प्रावधान तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी ने सामान्य जनता से कोई जमा नहीं लिया है ।

6 कंपनी के पास 50 लाख रुपये से अधिक की प्रदत पूँजी है। निदेशक मंडल ने तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) को कंपनी के आंतरिक लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है तथा कंपनी ने किसी औपचारिक रिपोर्ट के प्राप्त न होने पर, व्यवसाय के प्रचालन आकार के अनुरूप जाँच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

7 (क) हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों के अनुसार, हमारे विचार में, कंपनी भारत के उपयुक्त प्राधिकरणों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानूनी देय राशि, आयकर सहित कानूनी देय राशि जमा कराने में नियमित है। हालंकि स्रोत पर कर कटौती रूपये राशि 1.32 लाख निर्विवाद रूप से कानूनी देय है, जो कि पिछले 6 महीनों से बकाया है। यह वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन देय होगी।

(ख) हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों के अनुसार कंपनी में बिक्री कर, आयकर, धन कर, सेवा कर तथा उपकर की कोई देय राशि बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के तहत जमा नहीं करवाया गया।

8 हमारे विचार में 31 मार्च 2010 को कंपनी की संचित हानि कुल मूल्य के 50 प्रतिशत से कम है। कंपनी द्वारा उस तिथि पर समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि उठाई है। हालंकि तत्काल पूववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

9 कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों से किसी तरह का ऋण नहीं लिया है तथा इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किया गया है।

10 अभिलेखों की हमारी जाँच तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने शेयरों, डिबेंचरों, तथा अन्य सुरक्षाओं को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर किसी तरह का ऋण तथा/या अग्रिम राशि नही दी है।

11 हमारे विचार में कम्पनी शेयरों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों तथा अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नही कर रही है।

12 हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों के अलावा किसी अन्य से लिए ऋणों की गारंटी नहीं दी है।

13 हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिया है।

14 हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलनपत्र के एक संपूर्ण परीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पावधि पर किसी धन की उगाही कर उसका निवेश दीर्धावधि के लिए नहीं किया गया है।

15 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसार बनाए हुए रजिस्टर में शामिल पार्टियों या कंपनियों के शेयर का, प्राथमिकता के आधार पर कंपनी द्वारा आंबटन नही किया गया है। कंपनी, तेल उद्योग विकास बोर्ड की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी है ।

16 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई प्रतिभूत डिबेंचर जारी नहीं किया गया ।

17 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी धन की उगाही नहीं की गई हैं ।

18 वर्ष के दौरान, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा–परीक्षण सिद्धांतों के अनुसार पूरे किए गए लेखा खातों तथा अभिलेखों की हमारी जाँच के दौरान, हमारे सामने न ही कंपनी के विरूद्ध धोखाधड़ी की कोई घटना आई न ही कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई सूचना या खबर मिली, न ही हमें प्रबंधन की ओर से इस तरह की सूचना दी गई है।

19 कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) के खंड 4(ii)(a),(ii)(b),(ii)(c),4(viii) तथा 4(xiii) या तो लागू नहीं हैं या लेनदेन शून्य है, क्योंकि ऐसी कोई विस्तृत जानकारी/टिप्पणी सामने नहीं आई है।

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह0

(शांति नारायण)
पार्टनर
सदस्य सं0–87370
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 16/9/2010

वार्षिक लेखे

2009-2010

दिनांक 31 मार्च, 2010 तक का तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	राशि रूपये में 31.03.2010	राशि रूपये में 31.03.2009
क. निधि स्रोत			
–शेयर धारक निधि :			
–शेयर पूँजी :	1	5,196,434,004	2,934,234,766
कुल		**5,196,434,004**	**2,934,234,766**
क. निधि के अनुप्रयोग			
1. स्थिर परिसंपतियाँ			
सकलखंड	2	684,386,408	684,432,070
घटाएं : संचित मूल्यह्रास		1,165,199	909,606
		683,221,209	683,522,464
– पूर्व प्रचालन व्यय (लम्बित निपटान)	3	4,811,527,820	2,266,504,989
		4,811,527,820	2,266,504,989
2. चालू परिसंपति, ऋण एवं पेशगी	4		
– नकद एवं बैंक शेष		1,560,494	694,930
– ऋण एवं पेशगी		330,779,820	41,094,220
		332,340,314	41,789,150
घटाएं : चालू देयताएँ एवं प्रावधान			
– चालू देयताएँ	5	654,112,545	80,170,911
– आयकर के लिए प्रावधान		422,018	422,018
– शेयर निर्गमन स्टैम्प शुल्क के लिए प्रावधान		933,000	933,000
		655,467,563	81,525,929
शुद्ध चालू परिसंपति		**(323,127,249)**	**(39,736,779)**
3. विविध खर्च			
बटटे खाते में नहीं डालने तक (प्रारंभिक व्यय)		-	23,944,092
लाभ तथा हानि लेखे			
संलग्न लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार			24,812,223
कुल		**5,196,434,004**	**2,934,234,766**
महत्वपूर्ण लेखा नीति विवरण	6		
लेखाओं पर टिप्पणी	7		

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0
(सुधा वेंकट वरदन)
कंपनी सचिव

ह0
(एम.सी.सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0
(राजन के. पिल्लई)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह0
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

ह0
(सुधीर मार्गव)
निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16.09.2010

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
ह0
(शांति नारायण) पार्टनर
सदस्य सं0–87370
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16.09.2010

31.3.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाता

	राशि रूपयों में चालू वर्ष	राशि रूपयों में गत वर्ष
आय	-	-
कुल	-	-
व्यय		
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	96,275	-
अन्य कार्यालयी खर्चे	508,763	-
मूल्य ह्रास	255,593	-
आर ओ सी फाइलिग शुल्क	6,000	-
कानूनी शुल्क	1,500	-
आंरभिक खर्चे	23,944,092	-
कुल	24,812,223	-
तुलन पत्र में स्थानान्तिरित इस अवधि की शुद्ध हानि।	**(24,812,223)**	
महत्वपूर्ण लेखा नीति विवरण	6	
लेखों पर टिप्पणी	7	

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0
(सुधा वेंकट वरदन)
कंपनी सचिव

ह0
(एम.सी.सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0
(राजन के. पिल्लई)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह0
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

ह0
(सुधीर भार्गव)
निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16.09.2010

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
ह0
(शांति नारायण) पार्टनर
सदस्य सं0–87370
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 16.09.2010

31 मार्च 2010 तक की तुलन पत्र
दिनांक 31 मार्च 2010 तक की अनुसूची संलग्न और तुलन पत्र का भाग

विवरण	राशि रूपयों में 31.03.2010 को	राशि रूपयों में 31.03.2009 को
अनुसूची–1		
शेयर पूँजी		
- प्राधिकृत पूँजी		
(100,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू.10/–)	**10,000,000,000**	**10,000,000,000**
- निगर्मित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
(341,243,476 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू. 10/–)	3,412,434,760	2,735,933,550
(पिछले वर्ष 273,593,355 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू. 10/–)		
- शेयर अनुप्रयोग राशि	1,783,999,244	198,301,216
(लम्बित आबंटन)		
	5,196,434,004.00	**2,934,234,766**

तेल उद्योग विकास बोर्ड और इसके नामित 100 प्रतिशत निगर्मित, अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी धारण करते हैं ।

अनुसूची-2		इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड									
क्रं.सं.	विवरण	सकल खंड				मूल्य ह्रास				निवल खंड (WDV)	
		1.4.09 को	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान घटा #	31.3.10 को	1.4.09 को	वर्ष के दौरान	समायोजन	31.3.10 को	1.4.09 को	31.3.10 को
1	भूमि (विशाखापट्टन पोर्ट ट्रस्ट)*	269,313,060	-	307,562	269,005,498	-	-	-	-	269,313,060	269,005,498
2	भूमि (मंगलोर)*	413,105,000	-	-	413,105,000	-	-	-	-	413,105,000	413,105,000
3	कंप्यूटर	977,759	238,650	-	1,216,409	633,259	138,062	-	771,321	344,500	445,088
4	कार्यलयी उपकरण	559,258	22,200	-	581,458	107,316	63,850	-	171,166	451,942	410,292
5	फर्नीचर व फिक्सचर	414,988	-	-	414,988	157,686	46,572	-	204,258	257,302	210,730
6	पुस्तकें	23,309	1,050	-	24,359	3,582	2,806	-	6,388	19,727	17,971
7	डिप मीटर	38,696	-	-	38,696	7,763	4,303	-	12,066	30,933	26,630
	कुल	684,432,070	261,900	307,562	684,386,408	909,606	255,593	-	1,165,199	683,522,464	683,221,209
	पिछला वर्ष	684,356,089	75,981	-	684,432,070	356,134	553,472	-	909,606	684,356,089	683,522,464

*संदर्भ अनुसूचि 7 में नोट सं 5
इसमें विशाखापटनम पोर्ट्र ट्रस्ट से लीज पर ली गई 38 एकड भूमि
मैगलौर स्पेशल इॅकानोमिक जोन लिमिटेड (MSEZL) से लीज पर ली गई कुल 100 एकड के लगभग की भूमि में 18 एकड
को डेवेलेपर / FTWZ की युनिट बनाने के लिए MSEZL द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई गई भूमि शामिल है।
#1.4.2009 की यथास्थिति को वार्षिक पट्टा किराया तथा सुरक्षा जमा राशि का हिस्सा अपूँजीगत कर दिया गया है तथा उसे लेखो में सम्मिलित कर लिया है।

अनुसूची–3 प्रचालन–पूर्व व्यय (लंबित आबंटन)	राशि रूपयों में 31.03.2010 को	राशि रूपयों में 31.03.2009 को
क चालू निर्माण कार्य–स्थायी परिसंपत्तियाँ (अनआबंटित पूँजीगत व्यय,स्थल पर सामग्री सहित)		
भूमि अधिग्रहण व्यय	1,046,000	1,046,000
विज्ञापन व्यय	4,612,384	2,338,300
स्थल सर्वेक्षण व्यय	35,129,301	18,563,427
डीजल	153,533,902	29,421,119
भूमिगत सिविल कार्य (विशाखापटट्नम)	2,862,287,519	1,322,091,467
भूमिगत सिविल कार्य (मैंगलोर)	189,721,446	-
सविस्तार साध्यता रिपोर्ट व्यय	41,192,320	41,192,320
परियोजना प्रबन्धन परामर्श व्यय (ई.आई.एल.)	1,408,757,042	781,461,816
भूभौतिक व तकनीकी सर्वेक्षण	9,116,237	9,116,237
अन्य परियोजनाए व्यय	932,465	135,200
पाइपलाइन मार्ग सर्वेक्षण और CWS	812,988	812,988
बीमा खर्चे	26,983,351	9,899,402
मंत्रालय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ	917,998	469,479
परामर्श प्रभार	601,150	601,150
विशाखापटनम भूमि का किराया	3,760,693	
मंगलौर भूमि का किराया	126,000	
घटाएँ : बोली पत्रों की बिक्री	741,043	300,000
विदेशी मुद्रा रूपान्तर (मैंगलोर में भूमिगत कार्य)	2,802,935	
उप–योग	4,735,986,818	2,216,848,905
ख निर्माण के दौरान आकलिक व्यय		
(क) प्रारंभिक शेष	49,656,084	28,698,548
(ख) जोड़ :– वर्ष के दौरान निवल व्यय		
(i) वर्ष के दौरान व्यय		
लेखा परिक्षक का पारिश्रमिक	-	85,175
बैंक व क्रेडिट कार्ड प्रभार	18,401	19,552
कार/टैक्सी किराया व्यय	1,550,678	1,150,585
कंप्यूटर सॉफटवेयर इन्टरनेट व्यय	73,070	38,373
परामर्श व्यय	588,500	569,418
संविदा सेवाएं	1,266,318	1,200,279
मूल्य ह्रास	-	356,134
विद्युत व्यय	37,504	48,510
मनोरंजन व्यय	252,694	170,136
अन्य कार्यालय व्यय	-	183,612
मुद्रण व लेखन–सामग्री व्यय	356,952	294,925
यात्रा और वाहन व्यय	3,662,935	4,064,525
किराया व्यय	2,410,134	2,171,287
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	333,919	358,440
वेतन एवं अन्य लाभ	15,055,154	9,791,038
दूरभाष व्यय	278,720	260,001
आर ओ सी फाईलिंग शुल्क	-	4,309
उप–योग	25,884,979	20,766,299
(ग) **घटा :– वसूलियाँ**		
ब्याज आय	-	99,922
विविध आय	60	1,253
उप–योग	60	101,175
(घ) **शुद्ध–व्यय वर्ष के दौरान (ख–ग)**	25,884,919	20,665,124
(ङ) **कर के लिए प्रावधान–वर्तमान वर्ष**		
आय कर के लिए प्रावधान	-	31,681
अनुषंगी हितलाभ कर	-	251,142
कर के लिए प्रावधान–पिछले वर्ष		
अनुषंगी हितलाभ कर	-	9,589
उप–योग	-	292,412
(च) अंतिम शेष(क+घ+ङ) – (II)	75,541,003	49,656,084
ग कुल (I+II)	4,811,527,820	2,266,504,989

अनुसूची–4 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	राशि रूपयों में 31.03.2010 को	राशि रूपयों में 31.03.2009 को
नगद व बैंक शेष		
- नकद	23,670	14,573
- अनुसूचित बैंक के साथ शेष (चालू खाते में)	1,536,824	680,357
	1,560,494	**694,930**
ऋण और अग्रिम भुगतान (अप्रतिभूत समझी जाने वाली)		
भूमि के लिए अग्रिम (पादुर) (अनुसूची 7 में टिप्पणी सं॰ 7 देखें)	325,211,500	38,009,300
प्रतिभूति जमा	2,047,820	1,044,440
अग्रिम अनुषंगी हितलाभ कर	408,380	408,380
अग्रिम आय कर	143,733	40,221
नगद में या वस्तु के रूप में वसूलीयोग्य अग्रिम राशि	2,968,387	1,591,879
	330,779,820	**41,094,220**

अनुसूची–5 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	राशि रूपयों में 31.03.2010 को	राशि रूपयों में 31.03.2009 को
वर्तमान देयताएं		
माल एवं व्यय के लिए विविध लेनदार	526,868,267	79,462,412
प्रतिभूति / बयाना जमा	266,761	346,658
अन्य देयताएं	126,977,517	361,841
	654,112,545	**80,170,911**

अनुसूची–6

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **(क) लेखाकरण का आधार**

वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3c) में निर्दिष्ट, भारत के सनदी लेखाकर संस्थान (Institute of Chartered Accountants) द्वारा निर्गमित लेखाकरण मानकों के अनुसार तथा लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1956 के आदेषो का अनुपालन कर तैयार किया गया है ।

(ख) प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय विवरण का निर्माण सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुरुप किया गया है, जिस के अनुसार प्रबंधक वर्ग को प्राकलन तथा पूर्वानुमान लगाना होता है, जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की प्रतिवेदित राषियों को प्रभावित करता है। साथ ही यह प्रस्तुत वर्शो के राजस्व व व्यय के प्रतिवेदित लेखों तथा वित्तीय विवरण की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करता है।

(ग) स्थायी परिसंपत्तियाँ / अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियॉ

स्थायी परिसंपत्तियॉ

सभी स्थायी परिसंपत्तियो के मूल्य, लागत में से संचित मूल्य–ह्रास को हटाकर बताए जाते है। लागत में खरीद मूल्य तथा उदिश्ट प्रयोग हेतु परिसंपत्तियों को चालू अवस्था तक लाने में तक का खर्च ाामिल है ।

भूमि का स्थायी पटटे पर तथा साथ ही साथ 99 वर्शो के पट्टे पर अधिग्रहण पूर्ण स्वामित्व भूमि माना गया है । 99 वर्श से कम की अवधि तक पटटे पर भूमि अधिग्रहण को पटटाधृति भूमि माना गया है ।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियॉ

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियॉ मानी जाती हैं यदि :

– यह संभावना हो कि भविश्य के आर्थिक हितलाभ, जो कि परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, कंपनी को प्राप्त होंगे।

– परिसंपत्तियों का लागत / उचित मूल्य विष्वसनीय रुप से आँका जा सके।

(घ) अवमूल्यन (मूल्य–ह्रास)

मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की धारा XIV में उल्लिखित दर पर ह्रासित मूल्य पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

(ड़) राजस्व मान्यता तथा प्रचालन–पूर्व व्यय

(i) स्ट्रेटेजिक आयल रिज़र्वस् के लिए परियोजना कार्यान्वयनाधिन है और कम्पनी ने अभी व्यावसायिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है । चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान लेखाकार संस्थान द्वारा अमूर्त आस्तियों पर जारी लेखा मानकों के आधार पर लाभ तथा हानि के लेखे तैयार किए गए हैं। लेखा मानक 10 के अनुसार स्थाई आस्तियों, परियोजना पर आरोपित खर्चे लाभ तथा हानि लेखे में परिवर्तित कर दिए हैं।

(ii) परियोजना विकास, साध्यता अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फीस, परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क, भूमि अधिग्रहण व्यय, (भूमिगत/भूमि के ऊपर) सिविल ठेकेदारों को किए गए भुगतान विज्ञापन खर्चे, बीमा किस्त, भूमिगत कार्यो के लिए सप्लाई डीजल की कीमत आदि आदि उद्‌गत व्यय हैं। यह व्यय प्रचालन पूर्व व्यय के रूप में दिखाए गए हैं।

(च) प्रावधान/निवेश तथा आकस्मिक व्यय

कंपनी प्रावधान तब करती है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरुप वर्तमान में दायित्व हो तथा ऐसा न हो की तुलना में इसकी अधिक संभावना हो कि ऐसे दायित्वों से निपटने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन होगा तथा ऐसे दायित्वों का मूल्य विष्वसनीय रुप से ऑका जा सके। प्रावधानों के मूल्यों में उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार छूट नहीं दी जाती तथा वर्ष अंत में दायित्व की राषि के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित की जाती है।प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनका पुनार्वलोकन किया जाता है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्षाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का खुलासा संभव दायित्वों के लिए किया जाता है, जो पिछली घटनाओं से उद्‌गत हुई हैं तथा जिनके होने की पुश्टि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं भविश्य की घटनाओं के घटित होने या ना होने के द्वारा की जाएगी। आकस्मिक देयताओं का खुलासा उन वर्तमान दायित्वों के लिए भी किया जाता है, जहॉ संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना ना हो या जहॉ दायित्वों का विष्वसनीय रुप से मूल्यांकन ना किया जा सकता हो।

जब कंपनी में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना अल्प हो तब संभव दायित्व या वर्तमान दायित्व होने पर कोई भी प्रकटन या प्रावधान नहीं किए जाते।

(छ) परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधक वर्ग समय समय पर बाह्य तथा आंतरिक स्त्रोतों के जरिए आकलन करता रहता है कि क्या वहाँ किसी परिसंपत्ति के क्षति ग्रस्त होने के संकेत हैं। क्षति वहीं होती है जहाँ अग्रेनित मूल्य भविश्य नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है जो परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग तथा उसकी संभावित बिक्री से उत्पन्न होते है। जब रखाव मूल्य परिसंपत्ति के उच्च बिक्री मूल्य तथा वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है तब क्षतिगत हानि का,व्यय के रूप में निर्धारण होता है और यदि वसूलीयोग्य राषि के निर्धारण में लगाए गए अनुमान में अंतर होता है तो क्षतिगत हानि विपरीत रूप ले लेती है। क्षतिगत हानि केवल उस सीमा तक दर्ज की जाती है जब परिसंपत्ति रखाव लागत, रखाव राषि को पार नही करती। जो कोई भी क्षतिगत हानि न होने पर, निवल मूल्यह्रास तथा परिशोधन का निर्धारण करती होगी।

(ज) पट्‌टे

प्रचालनात्मक (ऑपरेटिंग लीज़) पट्‌टे

ऐसी पट्‌टा व्यवस्थाएँ जहाँ एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के आनुशंगिक जोखिम तथा प्रतिफल काफी हद तक पट्‌टे पर देने वाले के अधिकृत कर दिए जाते हैं, ऑपरेटिंग लीज मानी जाती हैं।

पट्टा–अवधि में कंप्यूटिंग परिष्योधन की विधि (straight line basis) के आधार पर ऑपरेटिंग लीज व्यवस्था के अंतर्गत पट्टा भुगतान प्रचालन पूर्व खर्च के रूप में देखा जाता है।

2. कर्मचारी हित लाभ

आज की तिथि में कम्पनी के वेतनपत्रक पर कोई कर्मचारी नही था। इसलिए "कर्मचारी हित लाभ" पर लेखाकरण मानक–15 के प्रावधान लागू नही होते ।

3. विदेशी मुद्रा व्यवहार

विदेष्ी मुद्रा में लेन–देन ,लेन–देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर पर रेकॉर्ड किए जातें हैं । विदेष्ी मुद्रा में अभिदानित और तुलनपत्र तिथियों में बकाया धन मद (Monetary Item), तुलनपत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर, में अनुवादित किए जातें हैं। विदेष्ी विनिमय व्यवहार पर विनिमय अंतर को, स्थायी परिसम्पत्तियो से संबंधित विनिमय अंतर के अलावा, समुचित मान्यता प्राप्त है । स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण से उद्गत व्यय के भुगतान की तिथि पर हुए विनिमय उतार–चढ़ाव से किसी प्रकार की लाभ/हानि को ऐसी परिसंपत्तियों के अग्रेनित लागत में समायोजित किया जाता है।

4. कराधान

आयकर में वर्तमान कर, आस्थगत कर और अनुषंगी हितलाभ कर ष्यामिल हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियॉ और देयताएं, विवकेष्ील विचार के अधीन अवधि अंतर के भविश्य कर परिणामों के लिए स्वीकार किए जाते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियॉ और देयताएं तुलन पत्र तिथि तक अधिनियमित अथवा मूल रूप से अधिनियमित कर दर से आँकी जाती हैं। विवेकपूर्ण मूल्याँकन से कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्ति को नहीं माना है।

अनुसूची–7

लेखाओं का टिप्पणी प्रपत्र भाग

1. पृष्ठभूमि

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड 16 जून 2004 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुई। कंपनी के संपूर्ण शेयर, तेल उद्योग विकास बोर्ड तथा उनके नामितियों द्वारा 9 मई, 2006 को अधिगृहित कर लिए गए थे। कंपनी का मुख्य उद्देश्य तेल व्यवसाय के भण्डारण, रखरखाव, उपचार, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रबंधक, दलाल और अभिकर्ता, अभियांत्रिकी और सिविल अभिकल्पक, ठेकेदार, घाटपाल, मालगोदाम मैन, उत्पादक, तेल व्यापारी और तेल उत्पाद, गैस और गैस उत्पाद, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, ईंधन, स्पिरिट, रसायन सभी प्रकार और किस्म के द्रव और तत्संबंधी यौगिक, संजात, मिश्रण, तैयारी और उत्पाद संबंधी कार्य संपादित करना है।

2. आकस्मिक देयता और वचनबद्धता

क. वचनबद्धता

विवरण	राशि रूपयों में 31.3.2010(रू.लाख)	राशि रूपयों में 31.3.2009(रू.लाख)
संविदा की अनुमानित राशि, पूँजीगत लेखा (निवल पेशगी) पर निष्पादन के लिए बाकी	189900 (लगभग)*	61061 (लगभग)*

* मुख्यतः परियोजना निष्पादन गतिविधियों के साथ निम्नलिखित के लिए कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित मुख्य संविदाओं से उद्गत शेष प्रतिबद्धताएं समाविष्ट करता है :

- प्रबंधन परामर्श के हेतु मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
- विशाखापटट्नम/ मैंगलोर एवं पादुर में भूमिगत सिविल कार्य हेतु ठेकेदार
- विशाखापटट्नम में भू–उपरी प्रक्रिया सुविधाएं
- डीजल आपूर्ति हेतु मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/एमआरपीएल (शेष मात्रा की आपूर्ति करने के लिए वर्तमान दर पर)
- पादुर में अनुपूरक अन्वेषण के लिए मैसर्स राईट्स (कार्यपूर्ण, संविदा अभी समाप्त की जानी है)।
- विशाखापटट्नम भूमि, विकास इत्यादि हेतु वार्षिक पट्टा किराया

ख. आकस्मिक देयता

विवरण	राशि रूपयों में 31.3.2010(रूपये लाख)	राशि रूपयों में 31.3.2009(रूपये लाख)
विशाखापटट्नम, मैंगलोर, पादुर में भूमि संबंधित आकस्मिक देयताएँ	6991** (लगभग)	7080** (लगभग)

** निम्न से उदगत आकस्मिक देयताओं का समावेश करता

- मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के अनुसार मैंगलोर हेतु अतिरिक्त प्रति एकड़ लागत (पुनर्वास और राहत उपायों सहित)
- भूमि पट्टा विलेखों तथा शेयर प्रमाणपत्र पर स्टाम्प शुल्क
- मैदानी क्षेत्र का विकास

ग. ऊपर अंष (क) में दर्षायी गई प्रतिबद्ध लागत में, विभिन्न संविदाओं से प्राप्त मूल्यों के आधार पर विषाखापट्टनम परियोजना हेतु 532करोड़ रुपये षामिल हैं। विषाखापट्टनम परियोजना की अनुमोदित लागत सितम्बर 2005 के मूल्यों पर 671.83 करोड़ रूपये थी। यद्यपि, लागत वृद्धि, विनिमय दर वैभिन्नय, धारिता/क्षमता में बढ़ोतरी के कारण, स्थल परिस्थितियों एवं प्रौद्योगिक सुधारों, सांविधिक उगाहियों में वृद्धि, स्वामी लागत इत्यादि का ध्यान रखने के लिए परिवर्धन/अपमार्जन किए जाते हैं। विषाखापट्टनम परियोजना हेतु परिषोधित लागत हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद इस वृद्धि का प्रभाव उन वित्तीय विवरणों में उचित रूप से दर्षाया जाएगा जो आगामी वर्शों में तैयार किए जायेंगे।

घ. सरकार की उपकर वसूली आय से, तेउविबो द्वारा कंपनी की परियोजना के संपूर्ण निधिकरण को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन का विचार है कि इंडियन स्टाम्प षुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कंपनी को स्टाम्प षुल्क के भुगतान से छूट दी जाए। कंपनी ने विषाखापट्टनम के जिलाधीष के समक्ष अपना मत रखा, कि विषाखापट्टनम विमानपत्त्न ट्रस्ट के साथ निश्पादित पट्टा विलेख पर स्टाम्प षुल्क से छूट दी जा सकती है। विषाखापट्टनम जिलाधीष ने, दिनांक 16.6.2010 के पत्र से सूचित किया है कि विषाखापट्टनम विमानपत्तन ट्रस्ट के साथ निश्पादित किए जाने वाले पट्टा अनुबंध पर स्टाम्प षुल्क तथा पंजीकरण षुल्क से छूट हेतु रखा गया प्रस्ताव राजस्व प्रतिफल के आधार पर स्वीकृति के लिए उपयुक्त नहीं है। कंपनी, विधिक परिप्रेक्ष्य में पुनर्निरीक्षण एवं इस बात की पुश्टि के लिए कि इसे स्टाम्प षुल्क से छूट प्राप्त है या नहीं, इस दस्तावेज को पहले ही मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आंध्रप्रदेष सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी है। यद्यपि, तीनों स्थलों की भूमि पट्टों और षेयर प्रमाणपत्रों पर स्टाम्प षुल्क देय होने की स्थिति मे, 785 लाख (लगभग) रूपये के अपेक्षित व्यय राषि को आकस्मिक देयताओं में षामिल किया गया है।

3. निर्माण की प्राक्कलित राशि

i. निर्माण की निर्धारित प्राक्कलित राषि, हस्ताक्षिरत संविदा, भू–ऊपरी प्रक्रिया सुविधाओं, पाईपलाईन कार्यों आदि, जिसकी परियोजना के पूर्ण होने तक समयावधि के साथ उपगत होने की प्रत्याषा की जाती है तथा जिसमें भूमि सामग्री, सेवाएं और अन्य संबंधित उपरिव्यय सम्मिलित है, पर निर्भर करती है।

ii. परियोजना कंपनी के द्वारा अभी कार्यान्वित होने की अवस्था में है, तुलन पत्र की तिथि तक उपगत प्रत्यक्ष खर्च का ब्यौरा, निर्माण कार्य प्रगति पर, के अंतर्गत रखा गया है। तथा उपगत राजस्व खर्च को प्रचालन, पूर्व व्यय (प्रलंबित आबंटन) के अन्तर्गत रखा गया है। वर्श समाप्ति 31.3.2010 हेतु लाभ–हानि खाता तैयार कर दिया गया है। वर्श 2009–10 के दौरान उपगत व्यय, जो कि परियोजना का आरोप्य नहीं है, उन्हें लाभ–हानि खाते में डाल दिया है तथा कंपनी ने प्रारंभिक व्यय (प्रारंभ से) को बट्टे खाते में डाल दिया है।

4. जैसाकि तुलनपत्र तिथि 31.3.2010 को विषाखापट्टनम तथा मैंगलौर परियोजनाओं पर निर्माण गतिविधियां प्रगति पर थी। बाद में वित्तीय वर्श के अंत में, कंपनी ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) से पादुर में भूमि को अधिकृत कर लिया था तथा मई 2010 के दौरान भूमिगत सिविल कार्यों की षुरूआत कर दी थी। इसके

क्र. सं.	विवरण	रूपये(लाखों में)		तुलन–पत्र के संदर्भ में
(क)	1 अप्रैल, 2009 को प्रचालन–पूर्व व्यय का आरंभिक शेष		22665.05	**अनुसूची 3** –31.3.2009 को अंतिम शेष
(ख)	वर्ष के दौरान प्रचालन–पूर्व व्यय		25450.23	**अनुसूची 3** 31.3.2010 को व्यय तथा 31.3.2009 को व्यय के शेष के बीच का अंतर
(ग)	**स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि**			**अनुसूची 2 –**
	स्थायी परिसंपत्ति–भूमि	-0.46		"वर्ष के दौरान हुई वृद्धि" कॉलम से
	अन्य स्थायी परिसंपत्ति	2.56		
	स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि		2.10	
(घ)	वर्ष के दौरान विविध व्यय (हटाए न जाने तक)		-239.44	**संकेत संख्या ख (3) का** तुलन–पत्र
(ड)	लाभ एवं हानि लेखे		248.12	
(च)	**निवल चालू परिसंपत्तियॉं** (1) चालू परिसंपत्तियॉं, ऋण तथा अग्रिम	3323.40		**अनुसूची 4**
	(2) चालू देयताएं तथा प्रावधान	6554.68		**अनुसूची 5** चालू देयताओं के लिए तथा मुख्य तुलन–पत्र **संकेत संख्या ख (2)** प्रावधानों के लिए
	निवल चालू परिसंपत्तियॉं (i-ii)		-3231.27	
	कुल व्यय(क+ख+ग+घ+ड+च)		44894.79	

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स रस्तोगी नारायण एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखो की रिपोर्ट दी है, जो यहां संलग्न है

सी एंड ए जी ने, वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2010 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत 2 टिप्पणियाँ दे चुका है। प्रबंधन के प्रत्युत्तर के साथ सी एंड ए जी की टिप्पणियों को यहां संलग्न किया गया है ।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व्यय पर कंपनी अधिनियम अनुच्छेद 217 (1) के अंतर्गत रिपोर्ट :

चूँकी कंपनी ने अभी तक वास्तविक कार्य आरंभ नहीं किया है अतः उर्जा शक्ति, ईधंन खपत तथा उत्पादन पर प्रति युनिट खपत से संबंधित सूचना शून्य है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन/व्यय नही हुआ ।

अतिरिक्त अगस्त, 2010 के दौरान, वाणिज्य मंत्रालय ने मैंगलौर परियोजना हेतु मैंगलौर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (MSEZL) के साथ निशुल्क व्यापार भांडागार क्षेत्र/फ्री ट्रेड वेअर हाउसिंग जोन (FTWZ) के सह–विकासक/ईकाई बनने के कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

5. वित्तीय वर्ष के अंत में, अगस्त 2010 के दौरान खान एवं भू–विज्ञान विभाग कर्नाटक सरकार ने कंपनी को विभाग के नियमों के अनुसार विभाग को जागीरदारी शुल्क/स्वामित्व शुल्क का भुगतान करने के बाद उपयुक्त क्रेताओं को उत्खनन पदार्थ बेचने के अनुमति दे दी है। इस दशा में प्राक्कलित देयता 4600 लाख रूपये है। मैंगलोर एवं पादुर में उत्खनन के लिए कोई उत्खनन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है।

6. विशाखापट्टनम विमानपत्तन न्यास भूमि तथा मैंगलोर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (MSEZL) भूमि का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा था, अतः इसे पूँजीकृत कर दिया गया है। तथापि, पट्टा विलेखों को अभी कार्यान्वित किया जाना है। इसके अतिरिक्त विशाखापट्टनम तथा मैंगलोर परियोजना की भूमि लागत, पट्टा विलेखों के हस्ताक्षिरत तथा पंजीकृत कराए गए वर्ष से शेष पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित कर ली जाएगी।

7. अनुसूची 4 में पदुर भूमि के लिए 32,52,11,500 रूपये की अग्रिम राशि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड से पादुर में अधिग्रहित की जाने वाली 140.65 एकड़ भूमि की अंतरिम राशि को दर्शाती है। कंपनी मई 2010 के दौरान, पहले ही लगभग 101 एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर चुकी है तथा शेष भूमि का अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। लंबित अधिग्रहण और अन्य दस्तावेजीकरण, संपूर्ण प्रदत्त राशि को भूमि की अग्रिम राशि के रूप में दर्शाया गया है। पादुर में भूमि अधिग्रहण पर वास्तविक व्यय राशि संभावित रूप से, कंपनी द्वारा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड में पहले से जमा कराई गई अंतरिम लागत से कम है। यद्यपि, कंपनी को राहत एवं पुनर्वास हेतु भुगतान करना पड़ेगा। ये मेल खाते प्रतीत होते हैं अतः वर्ष समाप्ति 31.3.2010 खातों में इन्हें नहीं दिखाया गया है।

8. प्राप्त होने वाले वसूलीयोग्य पेशगी, नकदी या वस्तु या सममूल्य, जिनमें दूसरी कंपनी द्वारा देय राशि जिसमें कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है की राशि शुन्य है। (पिछले वर्ष की राशि शून्य)।

9. पिछले वित्तीय वर्ष तक, कंपनी सम्पन्न कार्य के मूल्य के 5% की व्यवस्था नहीं कर रही थी यद्यपि ठेकेदारों के बीजक, कंपनी तथा भूमिगत संबंधित ठेकेदारों के बीच हस्ताक्षरित संविदात्मक प्रावधान के संदर्भ में सम्पन्न कार्य के 95% थे, हालांकि, वर्ष 2009–10 के लेखों में 5%राशि (873.26 लाख रूपये) का कुल प्रभाव, जो कि संविदाओं के प्रारंभ होने से लेकर देय नहीं था, अनुसूची 4 (अन्य देयताएं) में दर्शाया गया है।

10. कंपनी के रोजमर्रा कार्य वर्तमान में तेउविबो (4) एचपीसीएल (2) ओएनजीसी (2) गेल (1) से प्रतिनियुक्तियों पर आए अधिकारियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं तथा इनकी छुट्टी का वेतन और पेंशन अंशदान दावा करने पर उनकी संबंधित मूल कंपनियों को समानुपातिक आधार पर अदा किया जाता है।

11. (क) कंपनी ने वर्ष 2008–09 के दौरान 99,922/–रूपये की राशि की तुलना में वर्ष 2009–10 के दौरान लघु–अवधि मियादी जमा राशियों से शून्य ब्याज अर्जित किया है।

(ख) वर्ष 2008–09 के दौरान प्रचालन पूर्व व्यय में डाली गई 3,56,134/–रूपये की तुलना में 2,55,593/–रूपये की मूल्याह्रास राशि को वर्ष 2009–10 के दौरान लाभ–हानि खाते में डाला गया है।

12. लेखा परीक्षक पारिश्रमिक

	31.03.10 को समाप्त वर्ष (रूपये)	31.03.09 को समाप्त वर्ष (रूपये)
सांविधिक लेखा परीक्षक शुल्क (सेवा कर सहित)	82,725*	82,725
योग	**82,725**	**82,725**

*पॉकेट खर्चों को छोड़कर

13. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग II के अनुसार अतिरिक्त सूचनाएं अपेक्षित हैं।

क. विदेशी मुद्रा में अर्जन

	31.03.10 को समाप्त वर्ष	31.03.09 को समाप्त वर्ष
	भारतीय रूपये के समतुल्य	भारतीय रूपये के समतुल्य
विदेशी मुद्रा में अर्जन	शून्य	शून्य

** बोली दस्तावेजों की बिक्री से 1425 अमेरीकी डॉलर, जो कि भारतीय रूपये में 58,642/– के समतुल्य हैं, प्राप्त आय को परियोजना व्यय के साथ समायोजित कर दिया गया है।

ख. विदेशी मुद्रा में खर्च

	31.03.10 को समाप्त वर्ष में	31.03.09 को समाप्त वर्ष में
	भारतीय रूपये के समतुल्य	भारतीय रूपये के समतुल्य
विदेश यात्रा (शुद्ध)	8,35,231	13,52,621
मैंगलौर में भूमि संबंधी ठेकेदारों जो कि मैसर्स को SKEC & KCT JV अमेरिकी डॉलर में अदा की राशि	**313,79,020**	-
	3,22,14,251	**13,52,621**

ग. आयात का सी आई एफ मूल्य

	31.03.10 को समाप्त वर्ष (रूपये)	31.03.09 को समाप्त वर्ष (रूपये)
आयात का सी.आई.एफ मूल्य	शून्य	शून्य

14. आस्थगित कर

कर योग्य आय की अनुपस्थिति में आयकर के लिए कोई प्रावधान आवष्यक नहीं समझे गए हैं। इसके अतिरिक्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया है, चूँकि विष्वासोत्पादक सबूत के साथ कोई यर्थाथ निष्चितता नहीं है जो पर्याप्त हो। भावी कर योग्य आय तक उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध वैसी ही कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति समायोजित की जा सकती हो।

15. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 नामक एक अधिनियम प्रख्यापित किया है जो 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार कंपनी को सूक्ष्म, लधु व मध्यम उद्यमो की पहचान करना तथा उन पर विनिर्दिश्ट समयावधि से, उनके प्रादयको के साथ हुए प्रबंधन का लिहाज किए बगैर, देय पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। कंपनी ने इस तरह के उद्यमों/प्रदायकों को लिखकर पहल कर दी है और उसे अपने प्रदायकों से एक सूक्ष्म, लधु व मध्यम उद्यम होने की पुश्टि अभी तक नही मिली है। अतः इस मामले में कंपनी प्रदायको के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए देयताएँ ष्ाून्य/नगण्य हैं।

16. संबधित पक्ष व्यवहार

क. संबंधित पक्ष और संबंधो की सूची

i इकाईयाँ अथवा मुख्य प्रबंधन कार्मिक, जो महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है

- तेल उद्योग विकास बोर्ड, कंपनी में 100 प्रतिष्ात इक्विटी ष्ोयर धारण करता है।
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेष्ान लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेष्ान लिमिटेड की ओर से मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है)

ii. मुख्य प्रबंधन कार्मिक (निदेष्ाक मंडल)

- श्री एस सुन्दरेष्ान, अध्यक्ष (31.01.2010 (पूर्वाहन) से प्रभावी)
- श्री आर एस पाण्डेय, अध्यक्ष (31.01.2010 (अपराहन) तक)
- श्री सुधीर भार्गव, निदेष्ाक (19.05.2010 से प्रभावी)

- श्री एल एन गुप्ता, निदेशक

- श्री अरूण कुमार, प्रभारी निदेशक

iii. निदेशक मंडल का पारिश्रमिक शून्य है (गत वर्ष–शून्य)

iv. श्री राजन के पिल्लई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पारिश्रमिक **रूपये लाखों में**

	31.03.10 को समाप्त वर्ष (रूपये)	**31.03.09 को समाप्त वर्ष (रूपये)**
वर्ष 2009–10 के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पारिश्रमिक (जिसमें एचपीसीएल नामे/डेबिट नोट्स में लिखी राशियों तथा कंपनी द्वारा किए गए प्रत्यक्ष भुगतान शामिल है।)	**27 (लगभग)**	**18.10 (लगभग)**

(ख) बकाया शेष/संबधित पक्ष के साथ लेन–देन :

रूपये में

	तेल उद्योग विकास बोर्ड		**हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. ***	
	वर्ष समाप्ति 31.3.2010	**वर्ष समाप्ति 31.3.2009**	**वर्ष समाप्ति 31.3.2010**	**वर्ष समाप्ति 31.3.2009**
1.वर्ष के दौरान लेनदेन कंपनी की ओर से उठाया गया व्यय	38,93,238	16,64,35,214	23,47,875	44,14,372
2. वर्ष के अंत में शेष	1,78,39,99,244	19,83,01,216	40,12,851	17,35,780

*सी.ई.ओ व अन्य के वेतन के लिए एचपीसीएल को प्रतिपूर्ति।

(ग) वर्ष 2009–10 के दौरान किसी भी समय निदेशकों अथवा अधिकारियों द्वारा कोई भी देय राशि शून्य है। (पिछले वर्ष की राशि शून्य है।)

17. लघु उद्योग उपक्रमों को कोई भी भुगतान देय राशि नही है।

18. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292A के अनुसार कंपनी ने एक लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित संघटन के साथ गठित की है (19.5.2010 को हुई बोर्ड की बैठक के दौरान पुनर्गठित) :–

श्री सुधीर भार्गव, अपर सचिव, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष

श्री एल एन गुप्ता, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय – सदस्य

श्री अरूण कुमार, सचिव, तेउविबो – सदस्य

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूचि VI के पार्ट – IV को अनुवर्ती सूचना

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या: 126973 राज्य कोड: 55

तुलनपत्र तिथि: 31032010

II. वर्ष के दौरान पूँजी मे बढ़ोतरी (हजार रूपये की राशि में)

सार्वजनिक निर्गम	अधिकार निर्गम
0	676501

बोनस निर्गम	निजी स्थानन
0	0

III. जुटाव स्थिति तथा निधि का परिनियोजन (हजार रूपये की राशि में)

कुल देयताएँ	कुल परिसंपत्तिया
5196434	5196434

निधि स्त्रोत (हजार रूपये की राशि में)

प्रदत्त पूँजी	आरक्षित व अधिशेष	शेयर आवेदन धन
3412434	0	1783999

प्रतिभूति ऋण	अप्रतिभूत ऋण
0	0

निधि आवेदन पत्र (हजार रूपये की राशि में)

निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ	निवेश
683221	0

निवल चालू परिसंपत्तियाँ	प्रचालन–पूर्व व्यय (लंबित आवंटन)
(323127)	4811527

विविध खर्च
0

IV. कंपनी के कार्य निष्पादन (हजार रूपये की राशि में)

कुल बिक्री	कुल व्यय
0	(24812)

लाभ / हानि (कर से पहले)	लाभ / हानि (कर से पश्चात्)
(24812)	(24812)

प्रति इक्विटि शेयर अर्जन	लाभांश
0	0

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (आर्थिक शर्तो के अनुसार)

मद कोड संख्या (ITC कोड)	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	लागू नहीं
मद कोड संख्या (ITC कोड)	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	लागू नहीं
मद कोड संख्या (ITC कोड)	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	लागू नहीं

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

ह0
(सुधा वेंकट वरदन)
कंपनी सचिव

ह0
(एम सी सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0
(राजन के. पिल्लई)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह0
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

ह0
(सुधीर भार्गवा)
निदेशक

हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.9.2010

ह0
(शांति नारायण)
पार्टनर
सदस्य सं0–87370
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.9.2010

नकदी प्रवाह विवरण– वित्तीय वर्ष 2009–10(अप्रत्यक्ष पद्धति)

		राशि रूपयों में	राशि रूपयों में
क	**नकद तथा बैंक का प्रारंभिक शेष (1)** **प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		**694,929.79**
	शुद्ध–मुनाफा		
	समायोजन		
	मूल्यह्रास के लिए	255,593.00	
	विदेशी मुद्रा लाभ		
	ब्याज आय		
	ब्याज व्यय		
	प्रचालन–पूर्व व्ययों में वृद्धि	(2,520,261,637.00)	
	चालू देयताओं में वृद्धि	**573,941,634.00**	
	अन्य अस्थायी संपत्तियों ऋणों तथा अग्रिम राशि में वृद्धि		
	वेतन,मजदूरी तथा अन्य प्रचालन व्ययों की अदायगी	(25,884,919.00)	
	प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह		(1,971,949,329.00)
ख	**निवेश गतिविधियां**		
	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	-	
	स्थायी संपत्तियों, निवेशों की खरीद	301,255.00	
	तृतीय पक्ष को दिए गए ऋण तथा अग्रिम राशि	(289,685,600.00)	
	निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह		(289,384,345.00)
ग	**वित्तीय गतिविधियां**		
	नगद हेतु शेयर पूँजी,डिबेंचर का निर्गमन	**2,262,199,238.00**	
	दीर्घावधि उधार		
	वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		2,262,199,238.00
	कुल नगद प्रवाह (2)		**865,564.00**
	नकद तथा बैंक का अंतिम शेष (1)+(2)		**1,560,494**

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31, मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के लेखो पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय ढाँचे के अनुसार इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के दिनाँक 31, मार्च 2010 को समाप्त वर्ष वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक परीक्षक की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण तथा आश्वासन टिप्पणी मानकों के आधार पर स्वतंत्र परीक्षण पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करना है। उनके द्वारा दी गई 16 सितंबर 2010 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य पूरा किया जा चुका है।

मैंने, भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की ओर से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के वित्तीय बयान के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3)(ख) के अंतर्गत एक अनुपूरक लेखा परीक्षण 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए किया। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षण के आधार पत्र के बगैर किया गया है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षण तथा कंपनी कार्मिकों से पूछताछ व लेखाकरण के कुछ चयनात्मक अभिलेखों तक सीमित था। मेरे लेखा परीक्षण के आधार पर मेरे संज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया जिससे कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत किए गए अनुपूरक लेखा परीक्षण पर टिप्पणी दी जाए।

क) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

तुलन पत्र :

निधियों का उपयोग :

स्थिर परिसम्पत्तियां (सकल ब्लॉक) अनुसूची 2 : रू0. 68.44 करोड़

(i) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 के अनुभाग 211(3) (सी) की धारा AS 6 के अन्तर्गत अभी तक विषाखापट्टनम और मैंगलोर में क्रमषः 50 साल और 30 साल के लिए पट्टे पर ली गई जमीन का परिषामन नहीं किया गया है। इस कारण से संचित मूल्यह्रास तथा हानि 5.17 करोड़ रूपये तक कम हो गई है तथा इसी मूल्य की स्थाई सम्पत्ति बढ गई है।

(ii) कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–IV के अन्तर्गत कंपनी ने भूमि की प्रकृति जैसे लीज होल्ड का प्रकटन नहीं किया है। लीज होल्ड भूमि को मात्र भूमि के रूप में दर्शाना कंपनी की लेखा नीति के 1 (सी) के अनुरूप नहीं है।

सी.एण्ड.ए.जी. के लिए और सी.एण्ड.ए.जी की ओर से

ह0

(नैना ए. कुमार)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – II
नई दिल्ली

दिनांक : 01.11.2010

आईएसपीआरएल के 31.3.2010 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखों पर भारत के नियत्रंक, महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
तुलन पत्र : **निधियों का उपयोग :** **स्थिर परिसम्पत्तियां (सकल ब्लॉक)** **अनुसूची 2 : रू0. 68.44 करोड़** (i) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 के अनुभाग 211(3) (सी) की धारा AS 6 के अन्तर्गत अभी तक विषाखापट्टनम और मैंगलोर में क्रमषः 50 साल और 30 साल के लिए पट्टे पर ली गई जमीन का परिषमन नहीं किया गया है। इस कारण से संचित मूल्यह्रास तथा हानि 5.17 करोड़ रूपये तक कम हो गई है तथा इसी मूल्य की स्थाई सम्पत्ति बढ गई है।	MSEZL में मैंगलोर स्थल के पट्टे की अवधि पर अभी निर्णय की अनुपस्थिति में आईएसपीआरएल के पास मूल्य परिषमन को स्थापित करने के लिए कोई आधार नहीं है। विषाखापट्टनम स्थल के लिए भी पट्टा विलेख पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं इसी कारण पट्टा विलेख/पट्टों की षर्तो की लंबित परिसंपत्ति के कारण आईएसपीआरएल ने निर्णय लिया कि जिस वर्ष पट्टा विलेख हस्ताक्षरित व रजिस्टर्ड हो जाएगी उसी वर्ष से बची हुई लीज अवधि के लिए जमीन के मूल्य का परिषमन कर लिया जाएगा। इस सन्दर्भ को लेखों पर टिप्पणी (अनुसूची 7 की टिप्पणी 6) में भली भांति दर्षाया गया है। इस मामले की स्पश्टत 2010–2011 के खातों की परिसमाप्ति पर हो जाएंगी। कम्पनी वर्ष 2010–2011से भूमि मूल्य का परिषमन षुरू कर देगी।
(ii) कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–IV के अन्तर्गत कंपनी ने भूमि की प्रकृति जैसे लीज होल्ड का प्रकटन नहीं किया है। लीज होल्ड भूमि को मात्र भूमि के रूप में दर्षाना कंपनी की लेखा नीति के 1 (सी) के अनुरूप नहीं है।	हालांकि इस तथ्य को लेखों की अनुसूची में नोट का उल्लेख करने सम्मिलित किया गया। वित्त वर्ष 2010–2011 से इस सन्दर्भ को तुलन पत्र की अनुसूची 2 में भली भांति दर्षा दिया जाएगा।

ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड

(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर - 73, नौएडा- 201301, उ.प्र.

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

(A wholly owned subsidiary of OIDB)

Ministry of Petroleum and Natural Gas, Govt. of India

OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No.2, Sector - 73, Noida-201301, U.P.

Designed & Printed By : PIONEER TECHMEDIA, 011-43523510, 8826081202